Affairs. The Centre gives no separate programme.

(e) The Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan have submitted Tribal sub-Plans and identified 62 and 5 I.T.D.Ps. respectively. The major sectors for which programmes have been drawn up for the two States are:

(i) Agriculture and Allied Services.

(ii) Cooperation.

(iii) Water and Power Development.

(iv) Social and Community Services.

(vi) Industries and Minerals.

(vi) Transport and Communication.

(vii) Economic Services.

(viii) General Services.

**संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों को लिखे जाने वाले पत्र**

8225. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विपक्ष के संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों को लिखे जाने वाले पत्रों का अक्तूबर, 1980 के बाद से उत्तर नहीं दिया जा रहा है और मंत्रियों द्वारा केवल उनकी प्राप्ति की सूचना दी जाती है और उन पर की जाने वाली कार्यवाही से बिल्कुल भी अवगत नहीं कराया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने का है कि संसद सदस्यों द्वारा केन्द्र के अलग-अलग मंत्रियों को लिखे जाने वाले पत्रों पर की गई कार्यवाही से उनको अवगत कराया जाए; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों को अक्तूबर, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान कितने पत्र भेजे गए और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिए गए ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) :** (क) तथा (ख). इस आशय के स्थायी अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं जिनमें संसद के सभी सदस्यों, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों, से प्राप्त पत्रों पर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। ये अनुदेश, जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति के परा 43(1), 43(2), 45(1) तथा 45(2) में शामिल किया गया है, नीचे उद्धृत किए जाते हैं :—

**संसद सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार**

43(1) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

43(2) यदि पत्र किसी मंत्री के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर यथासंभव स्वयं मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्य मामलों में, पत्रों का उत्तर कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षरों से जाना चाहिए।

**पावतियां तथा अन्तरिम उत्तर**

45(1) संसद सदस्यों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं, सार्वजनिक निकायों तथा जनता से प्राप्त ऐसे पत्रादि जिनका तत्काल उत्तर देना संभव न हो, आम तौर से उनकी उपयुक्त पावती भेज देनी चाहिए। यदि ऐसा कोई पत्र भूल से किसी विभाग में भेज दिया गया हो तो उसे तत्काल उपयुक्त विभाग को भेज दिया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्तियों को उसकी सूचना दे दी जाएगी।